



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 71/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हस्तशिल्प मालों, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है, जो खाना (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं, की राज्य के भीतर प्रदाय को उस सीमा तक छूट देते हैं जिस सीमा तक इन पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन लगाए जाने वाला राज्य कर उक्त सारणी के खाना (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

व्याख्या: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "हस्तशिल्प माल" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, "ऐसे माल जो मुख्य रूप से हाथ से बनाए गए हों चाहे इनके बनाए जाने की प्रक्रिया में कुछ औजार या मशीनों का भी उपयोग किया गया हो; ऐसे माल सजावट के स्वरूप से देखने में आकर्षक होते हैं या इसमें जड़ाऊ कार्य या इसी तरह के सजावटी स्वरूप के कुछ कार्य किए हुए हैं या इनकी अपनी विशेषता होती है जो सौंदर्यपरक, कलात्मक, संजातीय या सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए होते हैं और ये इसी प्रकार के मशीनों से उत्पादित मालों से काफी भिन्न होते हैं।"

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	6%
2.	4202 22, 4202 29, 4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं, ज्वेलरी बॉक्स	6%
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशी युक्त उत्पाद, आर्ट वेयर/कलात्मक वस्तुएं, जो लकड़ी की हों (इनमें जड़ाऊ कार्य, कैस्क, बैरल, वेट्स भी आते हैं)	6%
4.	4414 00 00	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम्स	6%

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ीकारी, ज्वेलरी बाक्स, लकड़ी के खरादी और लॉक के कार्य (जिसमें मीनाकारी और जड़ीकारी, अंबादी सिसल शिल्प भी आते हैं)	6%
6	4503 90 90 4504 90	कार्क के कलात्मक वेयर [जिसमें सोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं]	6%
7.	4601 और 4602	चटाईयां, वनास्पतिक पदार्थों की चटाईयां और पर्दे, टोकरी कार्य, विकर वर्क और वनास्पतिक पदार्थों की अन्य वस्तुएं या अन्य प्लेटिंग सामग्री, लूफा की वस्तुएं (जिसमें बांस, रटन, केन्स और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (जो कि प्राकृतिक रूप से सूखे हों), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगल, रम्बान की वस्तुएं, शोला आइटम्स, कोना/च्युथांग (सरकंडा) क्राफ्ट्स, जल कुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट्स भी शामिल हैं)	2.5%
8.	4823	कागज मेश की वस्तुएं	2.5%
9.	5607, 5609	कोयर की वस्तुएं	2.5%
10.	56090020, 56090090	तोरण, दरवाजे की सज्जा जो कि कॉटन यार्न या ऊन वाले यार्न और आभला (दर्पण) से बने हो, चाहे इनमें लटकन लगी हो या नहीं	2.5%
11.	57	हस्तनिर्मित कालीन और हस्तनिर्मित टैक्स टाइल फ्लोर कवरिंग्स (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल है)	2.5%
12.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5%
13.	5805	हाथ से बुने कसीदे	2.5%
14.	5808 10	हाथ से बने जूड़े और ऑरनामेंटल ट्रीमिंग, जो टुकड़ों में हों	2.5%
15.	5810	हस्तनिर्मित जरीकारी की वस्तुएं	2.5%
16.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य एक हजार रुपए प्रति नग से अनधिक हो	2.5%
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य एक हजार रुपए प्रति नग से अधिक हो	6%
18.	6802	नग जड़े उत्पाद (जैसे की मूर्ति, मूर्तियां, जानवर की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	6%
19.	6815 99 90	स्टोन आर्ट वेयर, स्टोन इनले वर्क	6%
20.	6912 00 10 6912 00 20	चीनी मिट्टी और टैराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं	6%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं ब्लू पॉटरिज सहित	6%
22.	7009 92 00	ऑरनामेंटल फ्रेम मिरर	6%
23.	7018 10	चूडियां, मनके और अन्य छोटे-मोटे समान	2.5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों]	6%
25.	7020 00 90	कांच की बनी कलात्मक वस्तुएं [जिनमें पोट, जार, बोटिव, कैस्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, वेस भी शामिल हैं]	6%
26.	7113 11 10	चांदी के महीन कार्य	1.5%
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, कार्डम्म गारलेंड भी शामिल हैं)	1.5%
28.	7326 90 99	लोहे की बनी कलात्मक वस्तुएं	6%
29.	7419 99	कांसा, तांबा/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलात्मक वस्तुएं जो कि निकिल/सिल्वर से इलैक्ट्रोप्लेटिड हो	6%

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	7616 99 90	एल्युमिनियम की बनी कलात्मक वस्तुएं	6%
31.	8306	घंटियां, गोंग्स और उसके जैसे जो कि नॉन इलैक्ट्रिक हों और बेस मेटल से बनी हों; मूर्तियां और अन्य आभूषण जो कि बेस मेटल से बने हों; फोटोग्राफ, चित्र या इसी प्रकार के फ्रेम जो कि बेस मेटल से बने हों; बेस मेटल से बने दर्पण (जिनमें बिंदीवेयर, पंचलोगा की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, स्वामी मलाई कांसे की मूर्तियां, ढोकराजाली भी शामिल हैं)	6%
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैम्प (जिसमें पंचलोगा लैम्प भी शामिल हैं)	6%
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रट्टन और केन के फर्नीचर	6%
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़े की सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने [जिनमें सांवतवादी लकड़ी के खिलौने चनापटना खिलौने, तंजावूर की गुड़िया भी शामिल हैं]	6%
35.	9504	गंजीफा कार्ड	6%
36.	9601	हाथीदांत, अस्थि, कच्छुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, कोरल, मदर ऑफ पर्ल, सी शैल से बनी और अन्य जन्तु पदार्थ जड़ित वस्तुएं	6%
37.	9602	लकड़ी या खनिज पदार्थ वाली नक्काशी युक्त वस्तुएं, मोम की वस्तुएं, स्टेयरिन की वस्तुएं, प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक रेसिन की वस्तुएं, मॉडलिंग पेस्ट की वस्तुएं आदि (इनमें लाक और श्लाक की वस्तुएं भी शामिल हैं)	6%
38.	9701	हैंड पेंटिंग, ड्राईंग और पेस्टकल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, पामलिफ पेंटिंग, बसोली आदि शामिल हैं)	6%
39.	9703	मूल मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण कला, जो धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री से की जा रही हो।	6%

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 71/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of handicraft goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2), from so much state tax leviable thereon under section 9 of the Haryana Goods and Service Tax Act, 2017 (19 of 2017) as is in excess of the rate specified in column (4) of the said Table.

Explanation - For the purpose of this notification, the expression “handicraft goods” means “Goods predominantly made by hand even though some tools or machinery may also have been used in the process; such goods are graced with visual appeal in the nature of ornamentation or in-lay work or some similar work of a substantial nature; possess distinctive features, which can be aesthetic, artistic, ethnic or culturally attached and are amply different from mechanically produced goods of similar utility”.